


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक एफ4 (262प्राशि/एमडीएम/सघन निरीक्षण/2013-14/पार्ट-1/ 1228

दिनांक : 15.2.18

जिला कलेक्टर,
जिला समस्त।

विषय:- दिनांक 26-27 फरवरी, 2018 को मिड-डे-मील योजना का औचक सघन निरीक्षण करने बाबत।


महोदय,

राज्य में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विद्यालयों का सघन निरीक्षण कार्यक्रम माह फरवरी में आयोजित किया जाना है। अतः इसी क्रम में वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2017-18) में विद्यालयों का सघन निरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 26-27 फरवरी, 2018 को संपादित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निम्न निर्देश एतद्द्वारा प्रदान किये जाते हैं:-

1. प्रत्येक जिले में दिनांक 26-27 फरवरी, 2018 को जिले के न्यूनतम 20 प्रतिशत विद्यालयों का (Randomly) चयन कर औचक सघन निरीक्षण करवाया जावे।
2. विद्यालय चयन के समय ध्यान रखा जावे कि जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय के संयुक्त रूप से न्यूनतम 20 विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावे।
3. चयनित विद्यालयों में से लगभग 20 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हो जो दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर स्थित हो।
4. ऐसे विद्यालय जिनका पिछले 02 वर्षों में एक बार भी निरीक्षण नहीं हो पाया है, उन विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जावे।
5. कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रेणी के विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावे। जैसे: राजकीय, अनुदानित, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, मदरसे आदि।
6. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जाये। निरीक्षण दल में अति० जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जा सकता है।
7. निरीक्षण दलों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाये की कम से कम 20 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण संभव हो सके। निरीक्षण दलों का गठन 20 फरवरी तक आवश्यक रूप से कर लिया जावे तथा गठित निरीक्षण दलों की सूचना दिनांक 20 फरवरी (सायं 6:00 बजे) तक आवश्यक रूप से मिड डे मील आयुक्तालय को उपलब्ध करवाई जावे। साथ ही निरीक्षणकर्ता को भी दिनांक 20 फरवरी तक सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



8. जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी निरीक्षण दलों का दिनांक 23 फरवरी, 2018 को संक्षिप्त ब्रिफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा जिसमें निरीक्षण प्रपत्र, निरीक्षण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जावेंगे।
9. दिनांक 26-27 फरवरी, 2018 को निरीक्षण कार्यक्रम प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। निरीक्षण दलों के रवाना होने के पश्चात कुल दलों की संख्या व रवाना होने के समय की सूचना एसएमएस द्वारा उपायुक्त, मिड-डे मील, जयपुर डॉ० सी.बी. जैन के मोबाईल नम्बर 9414783292 पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रेषित की जायेगी।
10. पंचायत समिति स्तर से निरीक्षण दलों की संख्या एवं रवाना होने के समय की सूचना ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी।
11. निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक निरीक्षणकर्ता/दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप में तैयार कर उसी दिन सायं 6:00 बजे से पूर्व मिड-डे मील आयुक्तालय को ई-मेल rajmdm@rediffmail.com पर प्रेषित करेंगे। इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को भी ई-मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी।
12. इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा उपरोक्त प्रारूप में पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों का संकलन कर संकलित सूचना प्रपत्र-2 में भरकर मिड-डे मील आयुक्तालय को ई-मेल rajmdm@rediffmail.com पर दिनांक 27.02.2018 को सायं 6:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। साथ ही मुख्य कमियां व सुधार हेतु सुझाव भी निम्न प्रारूप में भेजे जाए:-

क्र.सं.	मुख्य कमियां/कठिनाईयां	सुधार हेतु सुझाव

13. पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के जिला स्तर पर संकलन हेतु यदि आवश्यक हो तो कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की सहायता ली जा सकती है।
14. जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की जावे।
15. निरीक्षणों में पाई गई कमियों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जावे ताकि कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। गबन, अनियमितता, चोरी आदि के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करावें।

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



16. समीक्षा के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही एवं उचित दिशा निर्देश निरीक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने के उपरान्त चार दिवसों में, अर्थात् दिनांक 08.03.2018 तक कार्यवाही रिपोर्ट मिड-डे मील आयुक्तालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए (Email ID: rajmdm@rediffmail.com)।
17. जिन अधिकारियों के पास वाहन उपलब्ध है वे निरीक्षण के दौरान अपने वाहन का उपयोग करेंगे। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था नियमानुसार किराये पर लेकर की जा सकती है। वाहन किराये का भार मिड डे मील योजना मद में उपलब्ध प्रशासनिक मद (MME) की राशि से वहन किया जा सकता है।
18. निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

अतः उक्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 26-27 फरवरी, 2018 को योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत विद्यालयों का सघन निरीक्षण व पर्यवेक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए एवं पाई गई कमियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्न :- निरीक्षण हेतु सरल प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-1 अ
संकलित सूचना भेजने हेतु प्रपत्र - 2

(नरेश पाल गंगवार)
शासन सचिव,
शिक्षा एवं भाषा विभाग

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग मुख्यालय अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली एवं चूरु।

प्रतिलिपि वास्ते पालनार्थ :-

6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला समस्त।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला समस्त।
8. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त (क्रिया. एवं मोनि.)
मिड डे मील